सड़क सुरक्षा : एक परिदृश्य

2018

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड

कार्यालय परिवहन आयुक्त, कुल्हान सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

web site: transport.uk.gov.in

त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय,
देहरादून-248001
फोन : 0135-2755177 (का.)
0135-2650433
फैक्स : 0135-2712827

संदेश

उत्तराखण्ड राज्य में सड़क दुघर्टनाओं को नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से जनसामान्य को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता एवं सुरक्षा नियमों के अनुपालन कराये जाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा एक पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

मुझे आशा है कि परिवहन विभाग द्वारा राज्य में वर्ष 2018 में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आंकडों एवं सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का संकलन कर प्रकाशित की जा रही पत्रिका के माध्यम से आम जनमानस को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों की विस्तृत जानकारी आसानी से मिल सकेगी एवं सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन में भी सहायता मिलेगी। परिवहन विभाग द्वारा किये जा रहे ऐसे प्रयासों से प्रतिवर्ष सड़क दुघर्टनाओं में हो रही जनहानि को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।

परिवहन विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही पुस्तिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनायें।

(त्रिवेन्द्र सिंह रावत)

यशपाल आर्य
मंत्री
परिवहन, समाज कल्याण,
अल्पसंख्यक कल्याण

उत्तराखण्ड सरकार

विधान भवन, देहरादून
कक्ष सं. : 102 A
फोन : 2666766
फैक्स : 2665900

पत्र सं. : 507/मं0/V.P./19
दिनांक : 20/12/2019

संदेश

पर्वतीय राज्य होने एवं विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियोंवश उत्तराखण्ड राज्य में सड़क परिवहन ही यातायात का प्रमुख साधन है। इस राज्य के विश्व प्रसिद्ध चारधाम एवं हिमालयी नैसर्गिक सौन्दर्य के कारण इसका धार्मिक, सास्कृतिक एवं पर्यटन के क्षेत्र में महत्तवपूर्ण स्थान है।

राज्य के प्राचीन धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में तीर्थ – योत्रियों एवं पर्यटकों का आवागमन वर्ष पर्यन्त बना रहता है।

उत्तराखण्ड राज्य में परिवहन सेवाओं के विस्तार एवं सुधार के लिये किये गये प्रयास परिलक्षित हो रहें हैं। राज्य में जनता को सुरक्षित एवं आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड परिवहन निगम की स्थापना की गयी है। वर्तमान में परिवहन निगम द्वारा जनता को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। परिवहन संबंधी अन्य अवस्थापनाओं का सुदृढिकरण तथा परिवहन विभाग को सुसंगठित करने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उपाय किये जा रहें हैं।

सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये चालकों के लाईसेन्स प्रदान करने की प्रक्रिया, वाहन की फिटनेस, सड़कों के रख–रखाव पर वैज्ञानिक आधार पर बल दिया जा रहा है। चालकों के प्रशिक्षण हेतु गढ़वाल मण्डल के देहरादून जनपद में झाझरा नामक स्थान पर आई0डी0टी0आर0 की स्थापना प्रस्तावित है। वाहनों की ओटोमेटिड फिटनेस करवाने के लिए राज्य में 11 स्थानों पर ओटोमेटिड ड्राईविंग टैस्ट ट्रैक के निर्माण प्रस्तावित किये गये हैं।

सड़क सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्यों के सम्पादन हेतु बजट की व्यवस्था करने के लिए राज्य सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना की गयी है, जिससे विभिन्न हितधारक विभागों को आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। सड़क दुर्घटना के पीड़ितो को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिये उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्धटना राहत निधि की भी स्थापना की गयी है।

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम में जनजागरूकता एवं जनसामान्य की संवेदनशीलता की भूमिका महत्तवपूर्ण है। आशा है कि यह पुस्तिका जनसामान्य के मध्य सड़क सुरक्षा जागरूकता के प्रचार प्रसार में उपयोगी सिद्ध होगी तथा इस प्रकार के प्रयास भविष्य में भी निरन्तर जारी रहेंगे।

(यशपाल आर्य)

उत्पल कुमार सिंह
Utpal Kumar Singh

मुख्य सचिव
Chief Secretary

उत्तराखण्ड शासन
Govt. of Uttarakhand
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन
Netaji Subhash Chandra Bose Bhawan
सचिवालय
Secretariat
4, सुभाष मार्ग, देहरादून
4, Subhash Marg, Dehradun
Phone (Off.) 0135-2712100
0135-2712200
(Fax) 0135-2712500
E-mail : cs-uttarakhand@nic.in

संदेश

परिवहन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा राज्य में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में वर्ष 2018 के सड़क दुर्घटना के आंकडो का प्रकाशन सराहनीय है। वर्ष 2018 में उत्तराखण्ड राज्य में कुल 1468 दुर्घटनायें घटित हुयी जिनमें 1047 व्यक्तियों की मृत्यु हुयी तथा 1571 व्यक्ति घायल हुये। इन दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले व्यक्तियों में सर्वाधिक व्यक्ति 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के है, जो कि समाज का एक प्रमुख उत्पादक वर्ग है।

सड़क दुर्घटना एक ऐसी आपदा है जिसे विभिन्न उपायों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। सड़क सुरक्षा की रणनीति निर्धारित करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है तथा विभिन्न जनपदों में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2016 में उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा नीति का प्रख्यापन किया गया, जिससे सड़क सुरक्षा के सभी पहलुओं पर राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने हेतु बहुआयामी प्रयासों जैसे–वाहन सुरक्षा के मानकों का अनुपालन सड़क अभियांत्रिकी में सुधार, सड़क सुरक्षा जागरूकता का प्रचार प्रसार, प्रवर्तन कार्यवाही का सुदृढ़ीकरण एवं आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता है।

मै पूर्ण रूप से आशान्वित हूं कि राज्य में सड़क सुरक्षा के विभिन्न हितधारक विभाग परस्पर समन्वय स्थापित करते हुये राज्य में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुये समेकित प्रयासों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने में सफल होंगे।

(उत्पल कुमार सिंह)

शैलेश बगौली
सचिव/परिवहन आयुक्त,

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन
4, सुभाष मार्ग, देहरादून
दूरभाष : 0135–2710791
फैक्स : 0135–2712248

संदेश

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों एवं मार्गदर्शन के फलस्वरूप परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2018 में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आंकडो का प्रकाशन ''सड़क सुरक्षा : एक परिदृश्य 2018'' नामक पुस्तिका के रूप में किया जा रहा है। इस पुस्तिका में कुल 08 भाग है, जिनमें राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न आयामों यथा वर्ष 2018 में राज्य में घटित दुर्घटनाओं का विश्लेषण, जनपदवार सड़को की लम्बाई, वाहनों की संख्या, जनसंख्या, दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उठाये गये कदम एवं भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया है।

पुस्तिका में प्रकाशित आंकडों का संग्रहण परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण एवं चिकित्सा विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया गया है। राज्य के वर्ष 2017 एवं 2018 के सड़क दुर्घटनाओं के आंकडो की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 2018 में 2017 की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आयी है यद्पि मृतकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

वर्ष 2018 में राज्य में कुल 1468 सड़क दुर्घटनायें घटित हुयी जिनमें 1047 व्यक्तियों की मृत्यु हुयी तथा 1571 व्यक्ति घायल हुये। इन दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण चालक की लापरवाही, वाहन में क्षमता से अधिक यात्री/माल वहन करना, खराब सड़कें, यात्रियों की लापरवाही तथा वाहन में यात्रिक खराबी आदि है।

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिये सभी हितधारक विभागों द्वारा मानव एवं भौतिक संसाधनों की गुणवत्ता सुधार हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। चालकों की दक्षता विकास के लिये उच्च स्तरीय चालक प्रशिक्षण संस्थानों यथा आई0डी0टी0आर0 की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में एक आई0डी0टी0आर0 जनपद देहरादून के झाझरा नामक स्थान पर संचालित है तथा इसी प्रकार के एक संस्थान की स्थापना नैनीताल जनपद में की जा रही है।

राज्य में वाहनों की यांत्रिक दशा की जांच हेतु 11 आटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना प्रस्तावित है। वाहनों पर स्पीड गर्वनर, जी0पी0एस0 एवं पैनिक बटन जैसे उपकरण लगाये जा रहे है, जिससे उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों पर अंकुश लगाया जा सके।

प्रवर्तन कार्यो के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य में, राज्य सड़क सुरक्षा कोष के माध्यम से इन्टरसेप्टर वाहनों, स्पीड रडार गन एवं एल्कोमीटर का क्रय किया जा रहा है, जिससे कि तीव्र गति से, मादक पदार्थो का सेवन कर एवं लापरवाही से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कठोर प्रवर्तन कार्यवाही की जा सके।

लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य की सड़को का रोड सेफ्टी ऑडिट कराया जा रहा है एवं ऑडिट में दिये गये सुझावों के आधार पर दुर्घटना संभावित स्थलों का सुधार किया जा रहा है। पैदल यात्रियों की सुरक्षा हेतु चिन्हित स्थलों पर विभिन्न ट्रैफिक कांमिग मैजर्स लगाये जा रहे है।

अन्ततः मैं यह आशा करता हूं कि, यह पुस्तिका राज्य में घटित हो रही सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने में एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता विकसित करने में सहायक होगी।

पुस्तिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनायें।

(शैलेश बगौली)
सचिव/परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सुनीता सिंह
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन आयुक्त कार्यालय,
कुल्हान सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
दूरभाष : 0135–2608107
फैक्स : 2608108

संदेश

उत्तराखण्ड राज्य में प्रतिवर्ष औसतन 1500 दुर्घटनायें घटित हो रही है, जिनमें लगभग 1000 लोगों की असमय मृत्यु हो रही है तथा 1600 लोग घायल हो रहे है। सर्वाधिक चिन्ताजनक यह है कि इन दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले सर्वाधिक व्यक्ति 25 से 35 आयु वर्ग के हैं जो कि समाज का एक प्रमुख उत्पादक आयु वर्ग है एवं जिसकी समाज के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रतिवर्ष इतनी बड़ी संख्या में युवा वर्ग के असमय निधन से राज्य की उत्पादक क्षमता एवं आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में हो रही इस गम्भीर जनहानि को रोकने के लिये सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा सतत समेकित प्रयास किये जा रहे है, परन्तु इन प्रयासों की सम्पूर्ण सफलता जनसहभागिता से ही सम्भव हो सकती है। जनसामान्य में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता एवं सुरक्षा नियमों के अनुपालन की प्रवृत्ति को विकसित करके ही सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है।

सड़क दुर्घटनाओं में हो रही जनहांनि की गम्भीरता को दृष्टिगत करते हुये केन्द्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम–1988 की धाराओं में संशोधन करते हुये सड़क सुरक्षा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन पर वाहन स्वामियों एवं वाहन चालकों हेतु कठोर दंड का प्राविधान भी किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य द्वारा सितम्बर 2019 से संशोधित अधिनियम राज्य में लागू किया गया।

परिवहन विभाग द्वारा राज्य में वर्ष 2018 में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आंकडो का संकलन कर इस पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। पुस्तिका में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न कारणों का विश्लेषण किया गया है। मै पूर्ण रूप से आशान्वित हूं कि इस पुस्तिका के अध्ययन से सामान्य जन में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी एवं जागरूकता का विकास होगा तथा राज्य में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को नियंत्रित किया जा सकेगा।

पुस्तिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनायें।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

विषय सूची

1. प्रस्तावना
2. भारत एवं उत्तराखण्ड में विगत 10 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं का तुलनात्मक विवरण
3. राज्य में वर्ष 2017 एवं 2018 में घटित दुर्घटनाओं का विश्लेषण
4. जनपदवार वाहनों की संख्या एवं जनसंख्या
5. राज्य में सड़कों की स्थिति, ब्लैक स्पॉट आदि
6. दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उठाये गये कदम
7. भविष्य की योजनाएं

प्रस्तावना

वर्तमान समाज के औद्योगिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास में परिवहन क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। परिवहन सुविधाओं के विस्तार ने विश्व की भौगोलिक एवं राजनैतिक सीमाओं को पार कर वैश्विक संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सड़क अभियांत्रिकी तथा वाहन प्रौद्योगिकी के निरन्तर विकास से विश्व के प्रत्येक भूभाग में सड़कों का विस्तार हो रहा है तथा सड़कों पर वाहनों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। इससे जहॉ एक ओर मानव के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है, वहीं दूसरी ओर सड़क दुर्घटनाएं, पर्यावरण प्रदूषण, वाहन पार्किंग हेतु भूमि की उपलब्धता तथा सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती मॉग जैसी चुनौतियॉ भी उत्पन्न हो रही हैं।

उत्तराखण्ड राज्य में रेल सेवाओं एवं हवाई सेवाओं का विस्तार कम होने की कारण सड़क परिवहन यातायात का मुख्य साधन है। राज्य की कुल सड़कों का लगभग 80 प्रतिशत भाग पर्वतीय हैं, जहॉ पर सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित चुनौतियॉ और भी अधिक गम्भीर हैं। खराब सड़कें, लापरवाही से वाहन चलाने, वर्षा के कारण होने वाले भूमि कटाव तथा पहाड़ी ढालों पर स्थित गहरी खाईयों के कारण प्रायः दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। साथ ही पर्याप्त मात्रा में अनुपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के कारण पर्वतीय मार्गों पर घटित दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है।

विगत वर्षों में उत्तराखण्ड उत्तरी भारत के एक प्रमुख पर्यटक राज्य के रूप में भी विकसित हो रहा है। राज्य में स्थित धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थल बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रत्येक वर्ष सम्पन्न होने वाली चारधाम यात्रा में करोड़ों की संख्या में पर्यटक अन्य राज्यों से राज्य में आते हैं, जिससे राज्य में अन्य राज्य से आने वाले वाहनों की संख्या भी अत्यधिक है। इन परिस्थितियों में सड़क दुर्घटनाओं को रोकना एवं इससे होने वाली जनहानि को नियंत्रित करने की चुनौती सदैव बनी रहती है।

सड़क दुर्घटनाओं का प्रभाव न केवल पीड़ित व्यक्तियों एवं उनके परिवारों पर पड़ता है अपितु ये समाज की आर्थिक एवं सामाजिक दशा को भी प्रभावित करती हैं। विगत वर्ष में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह देखा गया है कि इन दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले व्यक्तियों में सर्वाधिक व्यक्ति 25 से 45 आयु वर्ग के हैं, जो कि समाज का प्रमुख उत्पादक आयु वर्ग है। परिवार के मुख्य उत्पादक की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद प्रायः परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक दशा हीन हो जाती है, जिसका दूरगामी प्रभाव राज्य की विकास दर पर पड़ता है।

सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि ये दुर्घटनाएं अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे चालक की लापरवाही, वाहन में क्षमता से अधिक यात्री/माल का वहन करना, खराब सड़कें, यात्रियों की लापरवाही/अनभिज्ञता, वाहन में यात्रिंक खराबी तथा खराब मौसम, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सड़क सुरक्षा विषय किसी विशिष्ट क्षेत्र से सम्बन्धित न होकर एक बहुआयामी एवं समावेशी विषय है तथा परिवहन, पुलिस, सड़क अभियांत्रिकी, शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा इसके प्रमुख हितधारक विभाग है।

वर्तमान परिस्थितियों में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मानव एवं भौतिक दोनों ही संसाधनों की गुणवत्ता सुधार पर पर्याप्त बल दिये जाने की आवश्यकता है। मानव संसाधन के रूप में चालकों तथा यात्रियों दोनों को सड़क सुरक्षा के प्रति प्रशिक्षित एवं जागरूक किया जाना आवश्यक है, इस हेतु चालकों की दक्षता विकास के लिये राज्य में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा रही है, जिनमें चालकों को लाईसेन्स दिये जाने से पूर्व दक्षता परीक्षण हेतु आधुनिक मशीनों (सेमुलेटर) तथा मोबाइल आधारित एप्लीकेशन का प्रयोग किया जा रहा है साथ ही समय–समय पर उनके लिए रिफ्रेशर ट्रैनिंग कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं। जनसामान्य में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता तथा सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए सड़क सुरक्षा कार्यशालाओं, रैली, विद्यालय स्तर पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

खराब सड़कें भी सड़क दुर्घटना का एक प्रमुख कारक हैं, अतः इनके सुधार हेतु प्रदेशभर में पुलिस एवं जिला सड़क सुरक्षा समितियों द्वारा दुर्घटना कारक स्थलों को ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थलों के रूप में चिन्हित किया जा रहा है तथा प्राथमिकता के आधार पर इनका सुधार किया जा रहा है, इसके साथ ही दुर्घटना संभावित जंक्शनों पर ट्रैफिक कॉमिंग मेजर्स उपलब्ध कराये जा रहे है।

सड़क अभियांत्रिकी को त्रुटिहीन बनाने के लिए, प्रत्येक सड़क का सड़क सुरक्षा ऑडिट कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है तथा 05 किमी से लंबी प्रत्येक नवीन सड़क के निर्माण से पूर्व डिजाइन स्टेज आडिट कराया जा रहा है, जिससे सड़क के निर्माण स्तर पर ही सड़क सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया जा सकें।

सड़क दुर्घटना के पीड़ित व्यक्तियों में पैदल यात्रियों की निरन्तर बढ़ती संख्या को देखते हुए पैदल यात्रियों की सुरक्षा हेतु भी विशेष प्राविधान किये जा रहे है, जैसे कि जैब्रा क्रासिंग, फुटपाथ, अण्डर पास, फुट ओवर, ब्रिज टेबल टॉप आदि का निर्माण जिससे कि पैदल यात्रियों के सुरक्षित मार्ग के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके।

विगत वर्षो में उत्तराखण्ड राज्य के सड़क दुर्घटना के आंकडो की तुलना राष्ट्रीय सड़क दुर्घटना के आंकडो से करने पर यह ज्ञात होता है कि राज्य में प्रति 100 दुर्घटनाओं मे मारे जाने वाले व्यक्तियों का औसत राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्च है, जिसका प्रमुख कारण राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां तथा पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा एवं ट्रामा केयर सुविधाओं का अभाव है। वर्तमान में राज्य के 13 जनपदों में 15 ट्रामा केयर सेन्टर स्थापित किये गये है, जो कि स्थानीय जिला/सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रो के साथ संचालित किये जा रहे है। इन केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में मानव एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण किसी गम्भीर दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितो को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध नही हो पाती है तथा दुर्घटना में मृतकों की संख्या में वृद्धि होती है। राज्य में वर्ष 2017 एवं 2018 के सड़क दुर्घटनाओं के आंकडो की तुलना करने पर यह पाया गया कि वर्ष 2018 में वर्ष 2017 की तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या में 8.42 प्रतिशत की कमी आयी, लेकिन मृतकों की संख्या में 11.15 प्रतिशत की वृद्धि हुयी, जिससे यह ज्ञात होता है कि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आ रही है, परन्तु उनकी तीव्रता बढ़ गयी है, इसको नियंत्रित करने के लिये चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना अनिवार्य है।

उपरोक्त कारकों के साथ ही प्रवर्तन कार्य की भी सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। गतिशील एवं प्रभावी प्रवर्तन कार्य से अनुशासनहीन एवं अभियोगकर्ता वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों को दण्डित कर सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित नियमों का पालन करने हेतु बाध्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिये राज्य में सड़क सुरक्षा कोष के माध्यम से आधुनिक तकनीकी युक्त इन्टरसेप्टर वाहनों, स्पीड रडार गन एवं एल्कोमीटर का क्रय किया जा रहा है, जिससे की तीव्र गति से, मादक पदार्थो का सेवन कर एवं लापरवाही से वाहन संचालित करने वाले वाहन चालकों पर कठोर प्रवर्तन कार्यवाही की जा सके।

अन्ततः यह कहा जा सकता है कि सड़क सुरक्षा एक ऐसा सामाजिक विषय है, जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति सम्बन्धित है। सड़कें समाज के विकास का मार्ग है तथा सुरक्षित सड़क परिवहन के माध्यम से ही एक विकसित एवं सुरक्षित समाज को निर्मित किया जा सकता है। अतः हम सभी का यह उत्तरदायित्व है कि एक सड़क उपयोगकर्ता के रूप में हम सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित नियमों का पालन करें तथा सजग एवं सुरक्षित रहकर सड़को का प्रयोग करें।

भारत एवं उत्तराखण्ड में विगत 10 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं का तुलनात्मक विवरण

1. भारत में विगत 10 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाएं, मृतक एवं घायलों का विवरणः–

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या	दुर्घटना की गम्भीरता*
2008	4,84,704	1,19,860	5,23,193	24.7
2009	4,86,384	1,25,660	5,15,458	25.8
2010	4,99,628	1,34,513	5,27,512	26.9
2011	4,97,686	1,42,485	5,11,394	28.6
2012	4,90,383	1,38,258	5,09,667	28.2
2013	4,86,476	1,37,572	4,94,893	28.3
2014	4,89,400	1,39,671	4,93,474	28.5
2015	5,01,423	1,46,133	5,00,279	29.1
2016	4,80,652	1,50,785	4,94,624	31.4
2017	4,64,910	1,47,913	4,70,975	31.8

*गम्भीरता से आशय प्रत्येक 100 दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या से है।

(स्रोत– सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

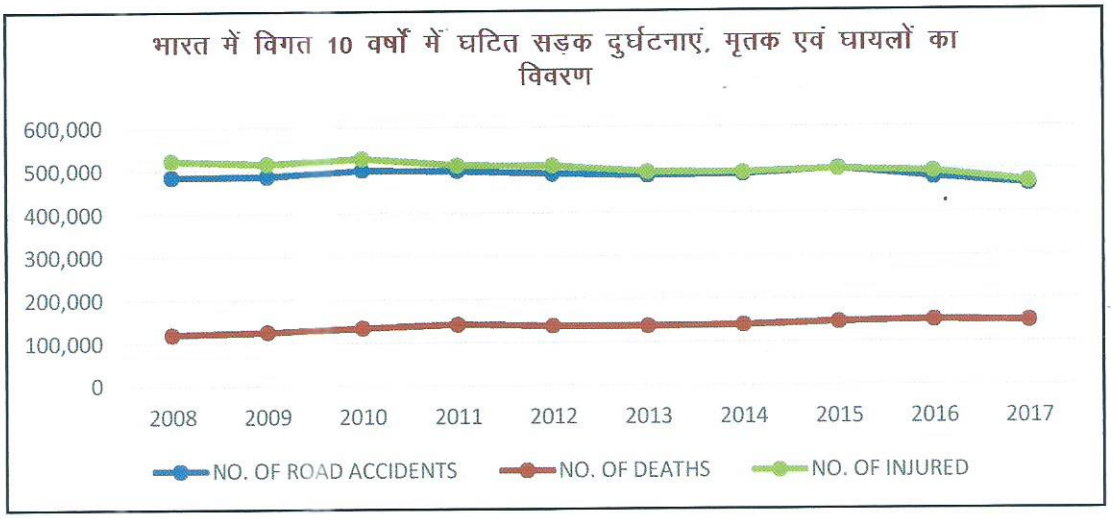

2. उत्तराखण्ड राज्य में विगत 10 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाएं, मृतक एवं घायलों का विवरणः–

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या	दुर्घटना की गम्भीरता
2008	1,417	1,073	1,765	75.7
2009	1,401	852	1,784	60.8
2010	1,493	931	1,656	62.4
2011	1,508	937	1,712	62.1
2012	1,472	844	1,577	57.3
2013	1,297	766	1,503	59.05
2014	1,410	878	1,531	62.26
2015	1,523	913	1,657	59.94
2016	1,591	962	1,735	60.46
2017	1,603	942	1,631	58.08
2018	1,468	1,047	1,571	71.30

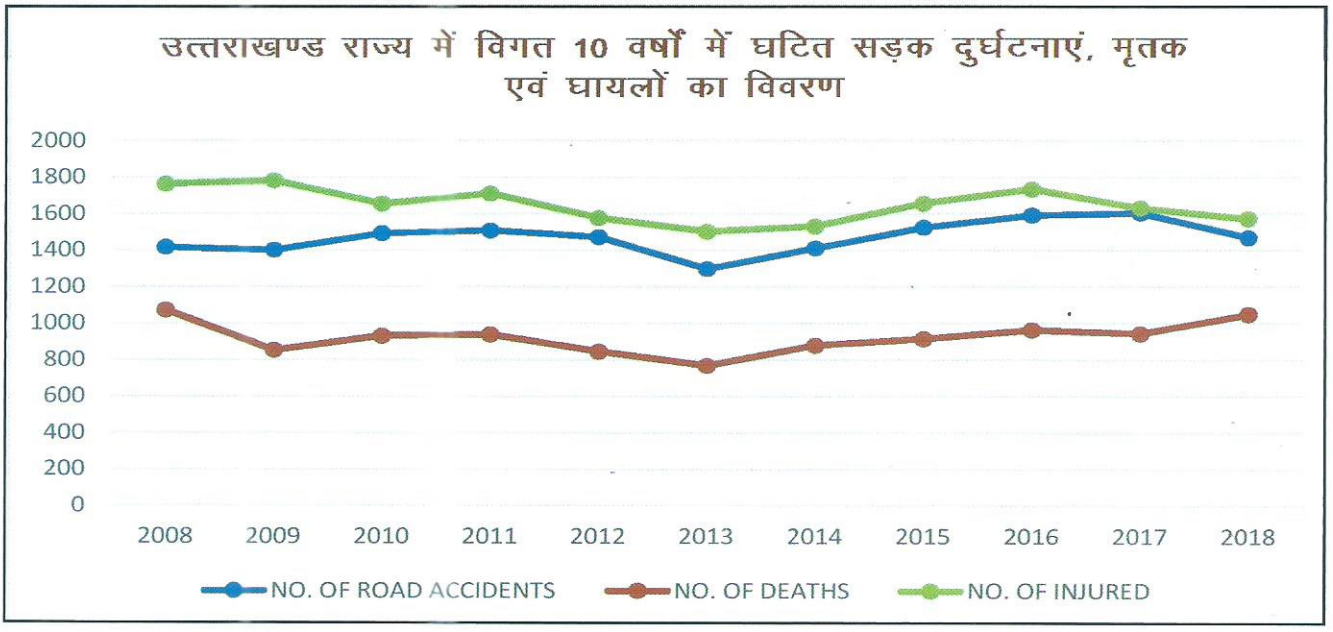

राज्य में वर्ष 2018 में घटित दुर्घटनाओं का विश्लेषण

1. राज्य में वर्ष 2017 एवं 2018 में जनपदवार घटित सड़क दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरणः–

जनपद	दुर्घटनाओं की संख्या		मृतकों की संख्या		घायलों की संख्या	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
चम्पावत	26	17	17	34	38	35
देहरादून	342	317	143	137	254	254
बागेश्वर	12	20	04	10	14	22
पिथौरागढ़	32	10	37	08	52	10
नैनीताल	226	199	112	110	177	170
रुद्रप्रयाग	22	15	11	14	55	12
चमोली	51	42	20	29	146	70
उत्तरकाशी	35	24	75	71	72	79
अल्मोड़ा	11	13	05	25	11	46
टिहरी	113	68	51	100	238	189
उधमसिंहनगर	362	356	251	226	262	260
हरिद्वार	333	345	194	200	256	306
पौड़ी	38	42	22	83	56	118
योग	**1603**	**1468**	**942**	**1047**	**1631**	**1571**

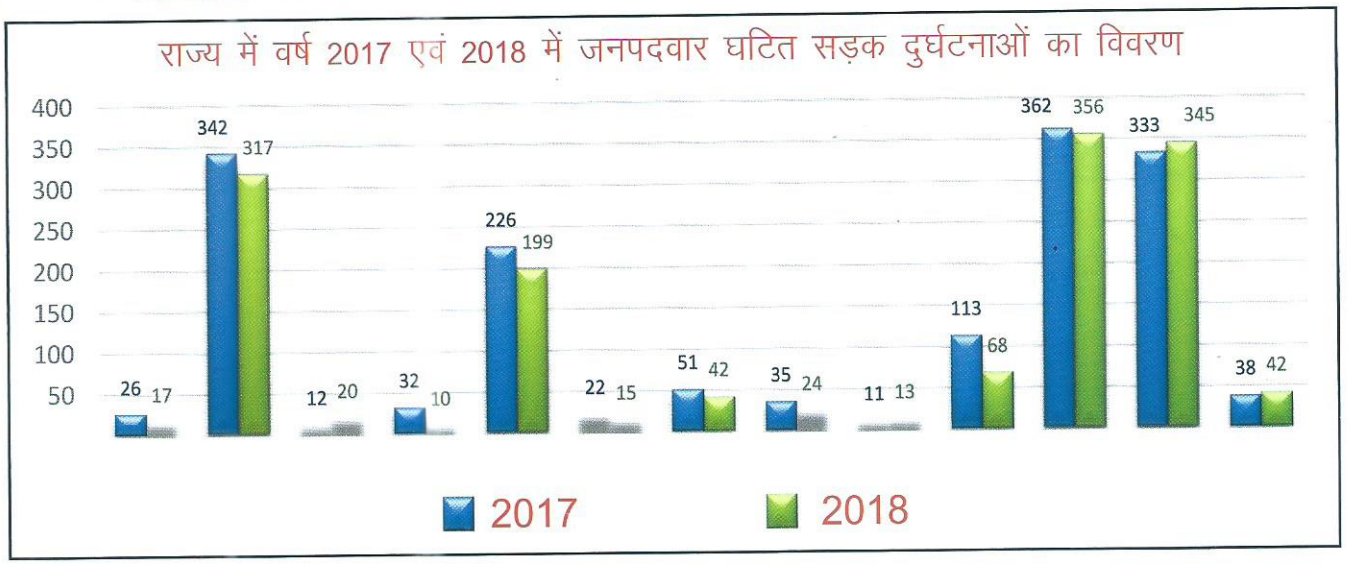

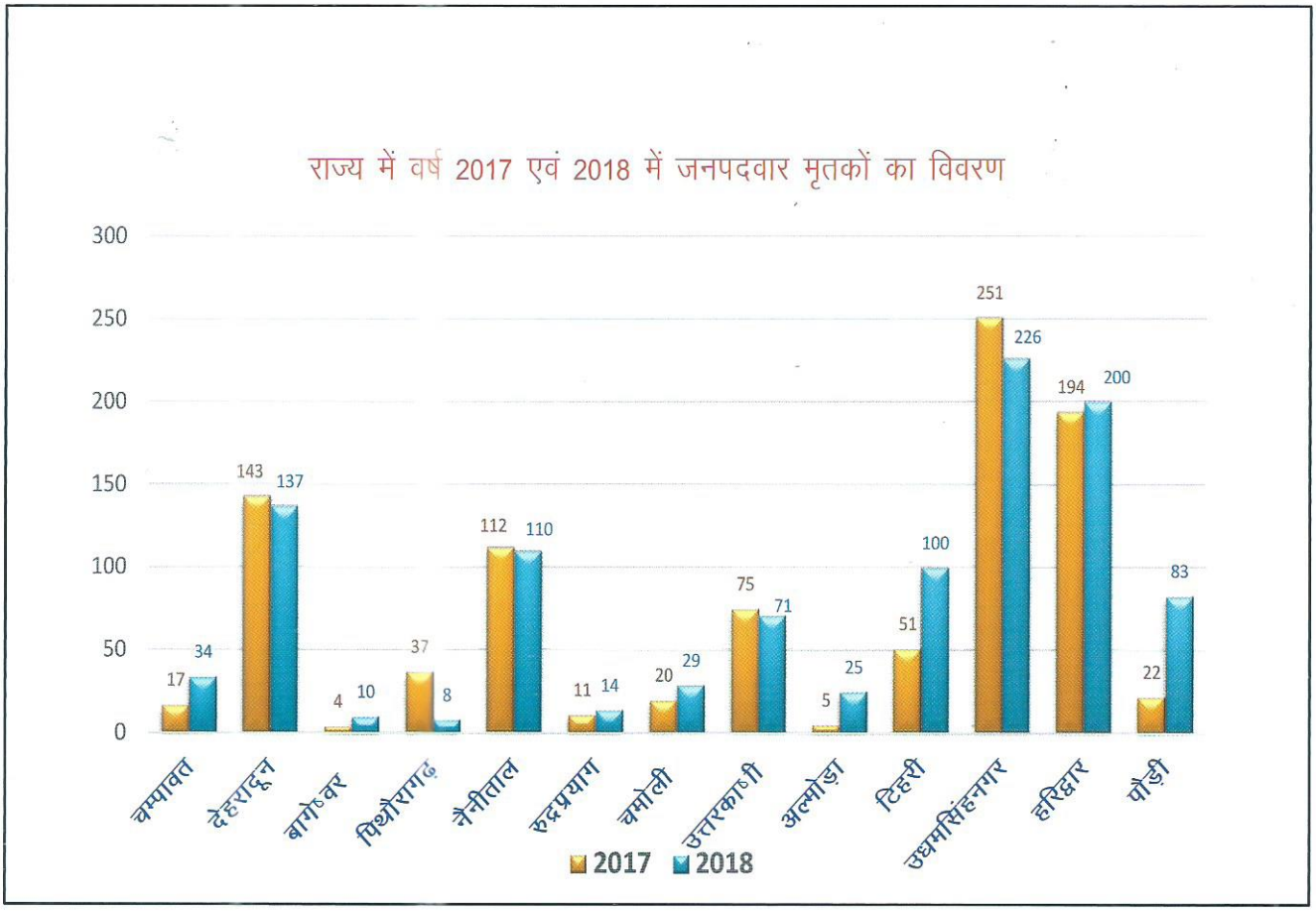

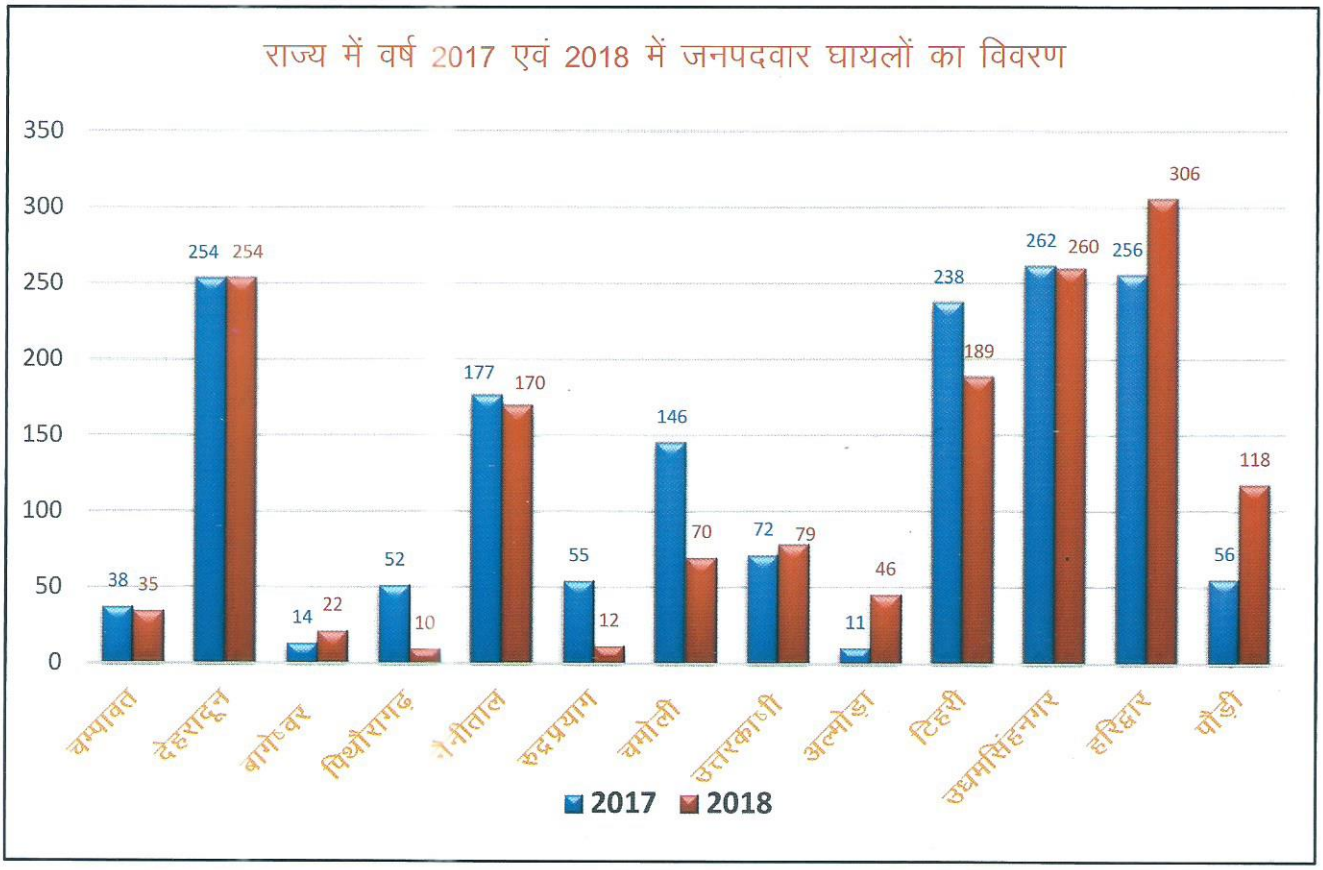

राज्य में वर्ष 2017 एवं 2018 में जनपदवार मृतकों का विवरण
300
250
200
150
100
50
0
17
34
143
137
4
10
37
8
112
110
11
14
20
29
75
71
5
25
51
100
251
226
194
200
22
83
चम्पावत
देहरादून
बागेश्वर
पिथौरागढ़
नैनीताल
रुद्रप्रयाग
चमोली
उत्तरकाशी
अल्मोड़ा
टिहरी
उधमसिंहनगर
हरिद्वार
पौड़ी
2017
2018

राज्य में वर्ष 2017 एवं 2018 में जनपदवार घायलों का विवरण
350
300
250
200
150
100
50
0
38
35
254
254
14
22
52
10
177
170
55
12
146
70
72
79
11
46
238
189
262
260
256
306
56
118
चम्पावत
देहरादून
बागेश्वर
पिथौरागढ़
नैनीताल
रुद्रप्रयाग
चमोली
उत्तरकाशी
अल्मोड़ा
टिहरी
उधमसिंहनगर
हरिद्वार
पौड़ी
2017
2018

2. वर्ष 2018 में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का समयवार विवरणः–

समय	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
06:00 से 9:00 बजे (दिन)	194	185	255
09:00 से 12:00 बजे (दिन)	177	102	172
12:00 से 15:00 बजे (दिन)	177	132	235
15:00 से 18:00 बजे (दिन)	194	132	265
18:00 से 21:00 बजे (रात)	262	164	232
21:00 से 24:00 बजे (रात)	178	125	141
00:00 से 03:00 बजे (रात)	99	78	93
03:00 से 06:00 बजे (रात)	138	112	130
अज्ञात समय	49	17	48
योग–	**1468**	**1047**	**1571**

3. वर्ष 2018 में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का वाहनों की श्रेणी के आधार पर विवरणः–

A- मोटर चालित यान			
वाहन का प्रकार	**दुर्घटनाओं की संख्या**	**मृतक**	**घायल**
दुपहियॉ वाहन	472	230	397
ऑटो रिक्शा	33	17	52
कार / जीप / वैन / टैक्सी	423	315	511
बस	96	145	251
ट्रक / लॉरी	141	120	137
भारी आर्टीकुलेटेड वाहन	22	12	26
टैम्पू / ट्रैक्टर	33	54	37
योग	**1220**	**893**	**1411**
B- गैर मोटर चालित वाहन			
वाहन का प्रकार	**दुर्घटनाओं की संख्या**	**मृतक**	**घायल**
ई–रिक्शा	–	–	–
साईकिल	32	30	02
साईकिल रिक्शा	20	10	17
योग	**52**	**40**	**19**
C- अन्य यान			
वाहन का प्रकार	**दुर्घटनाओं की संख्या**	**मृतक**	**घायल**
अन्य यान	196	114	141
महायोग–(A+B+C)	**1468**	**1047**	**1571**

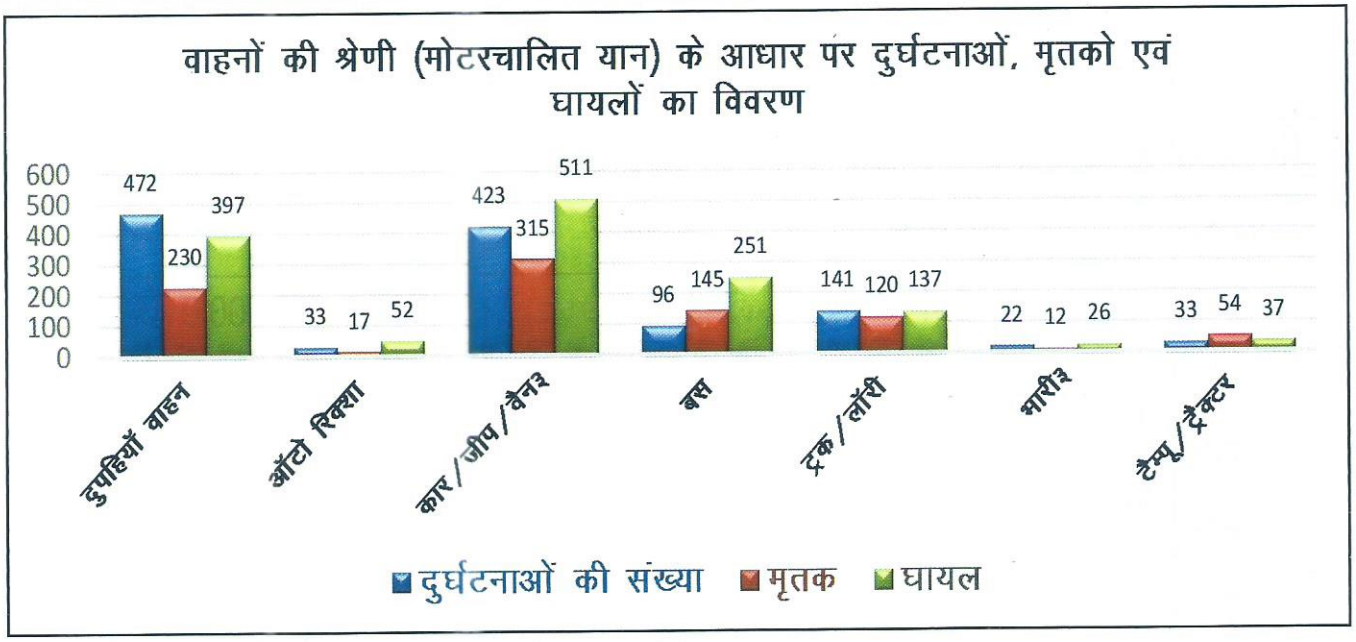
वाहनों की श्रेणी (मोटरचालित यान) के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण
600
500
400
300
200
100
0
472
230
397
33
17
52
423
315
511
96
145
251
141
120
137
22
12
26
33
54
37
दुपहियाँ वाहन
ऑटो रिक्शा
कार/जीप/वैनस
बस
ट्रक/लॉरी
भारीस
टैम्पू/ट्रैक्टर
दुर्घटनाओं की संख्या
मृतक
घायल

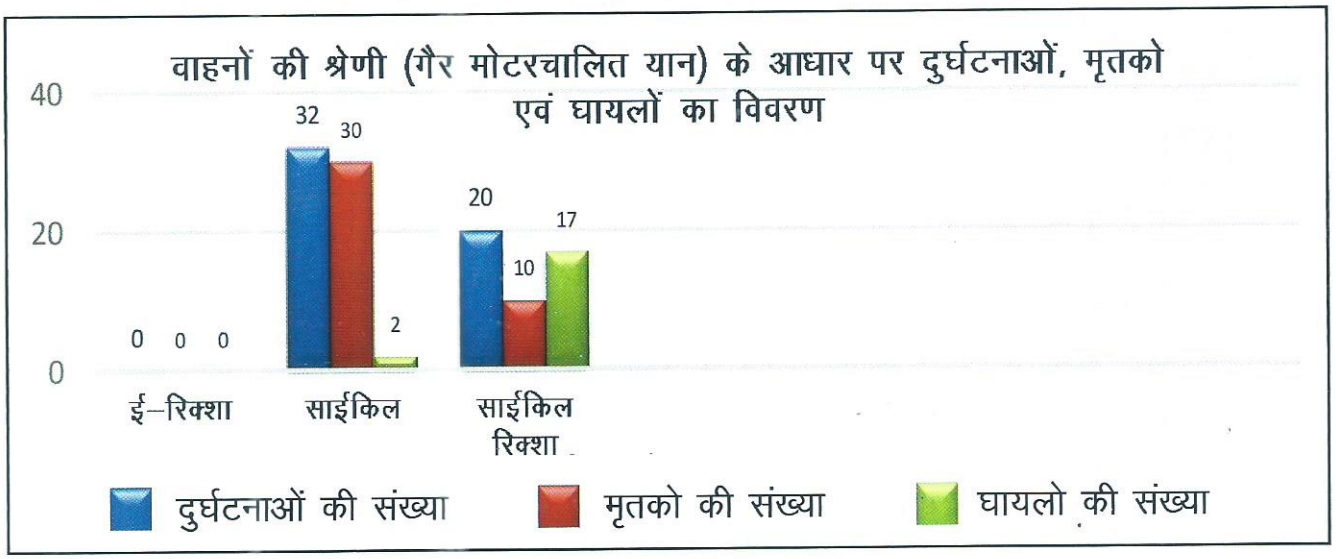
वाहनों की श्रेणी (गैर मोटरचालित यान) के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण
40
20
0
0
0
0
32
30
2
20
10
17
ई–रिक्शा
साईकिल
साईकिल रिक्शा
दुर्घटनाओं की संख्या
मृतको की संख्या
घायलो की संख्या

4. वाहनों की आयु के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण–

वाहन की आयु	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
05 वर्ष से कम	238	185	314
05 से 10 वर्ष	338	292	330
10.1 से 15 वर्ष	141	103	135
15 वर्ष से अधिक	19	07	20
आयु ज्ञात नही	732	460	772
योग–	**1468**	**1047**	**1571**

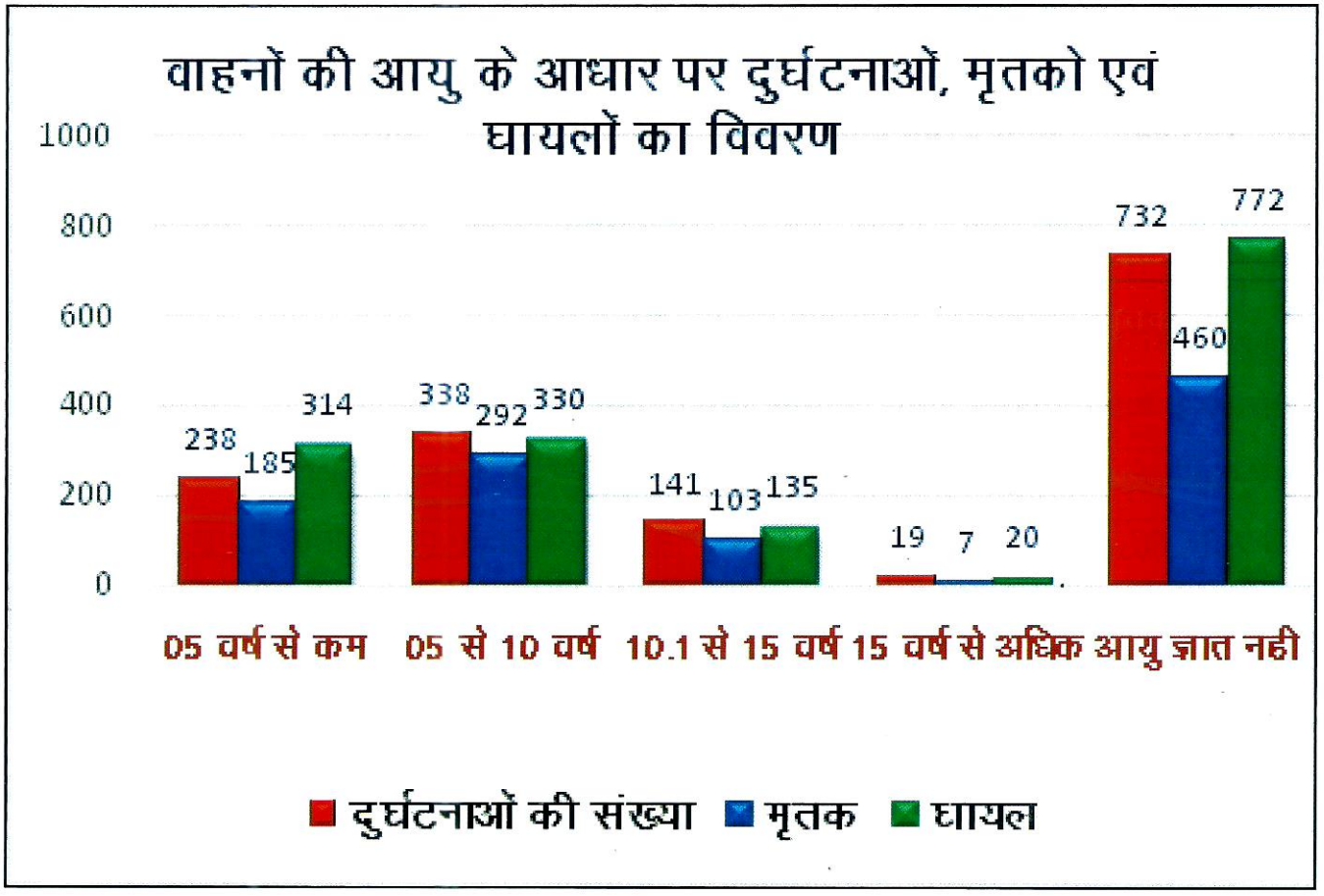

5. वर्ष 2018 में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का पीड़ितों के आयु एवं लिंगवार विवरणः—

व्यक्ति	मृतक		घायल	
आयु वर्ग	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
18 वर्ष से कम आयु	23	53	32	68
18 से 25 वर्ष	41	190	57	288
25 से 35 वर्ष	46	245	93	396
35 से 45 वर्ष	49	207	78	284
45 से 60 वर्ष	33	106	38	150
60 वर्ष से अधिक	16	31	10	46
आयु अज्ञात	03	04	11	20
योग—	**211**	**836**	**319**	**1252**

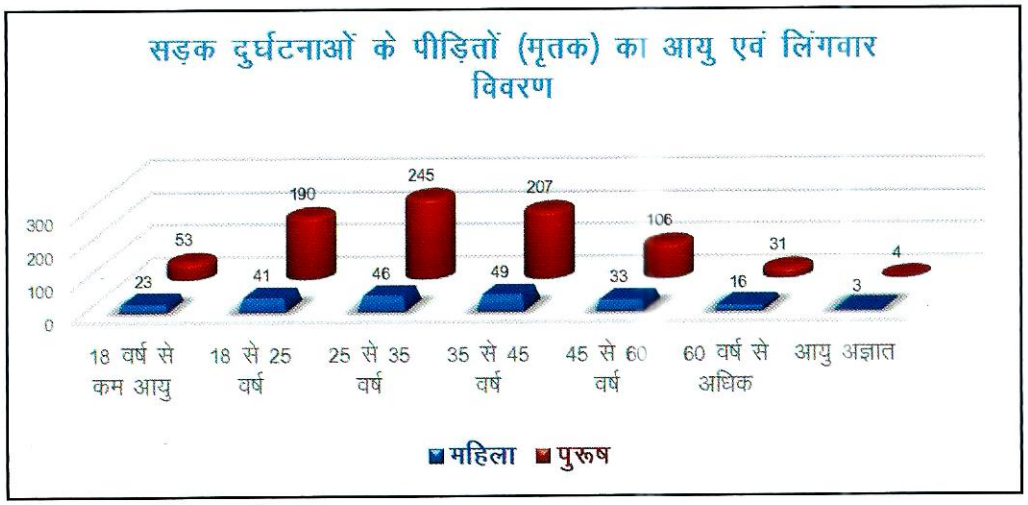

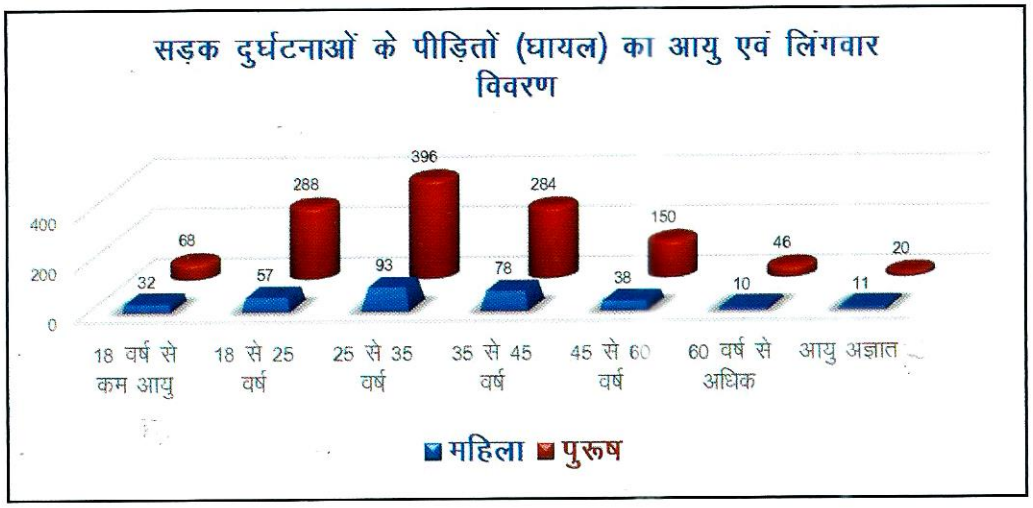

6. वाहनों के संघट्टन (टक्कर) के प्रकार के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण।

टक्कर का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
पीछे से टक्कर	284	167	253
वाहन का सड़क से नीचे उतरना	272	197	340
साईड से टक्कर	246	137	218
हिट एण्ड रन	212	131	114
वाहनों में आमने–सामने टक्कर	80	45	70
वाहन का पलटना	36	18	43
वाहन की किसी स्थिर वस्तु से टक्कर	25	14	25
खड़े वाहन से टक्कर	11	05	11
अन्य	302	333	497
योग	**1468**	**1047**	**1571**

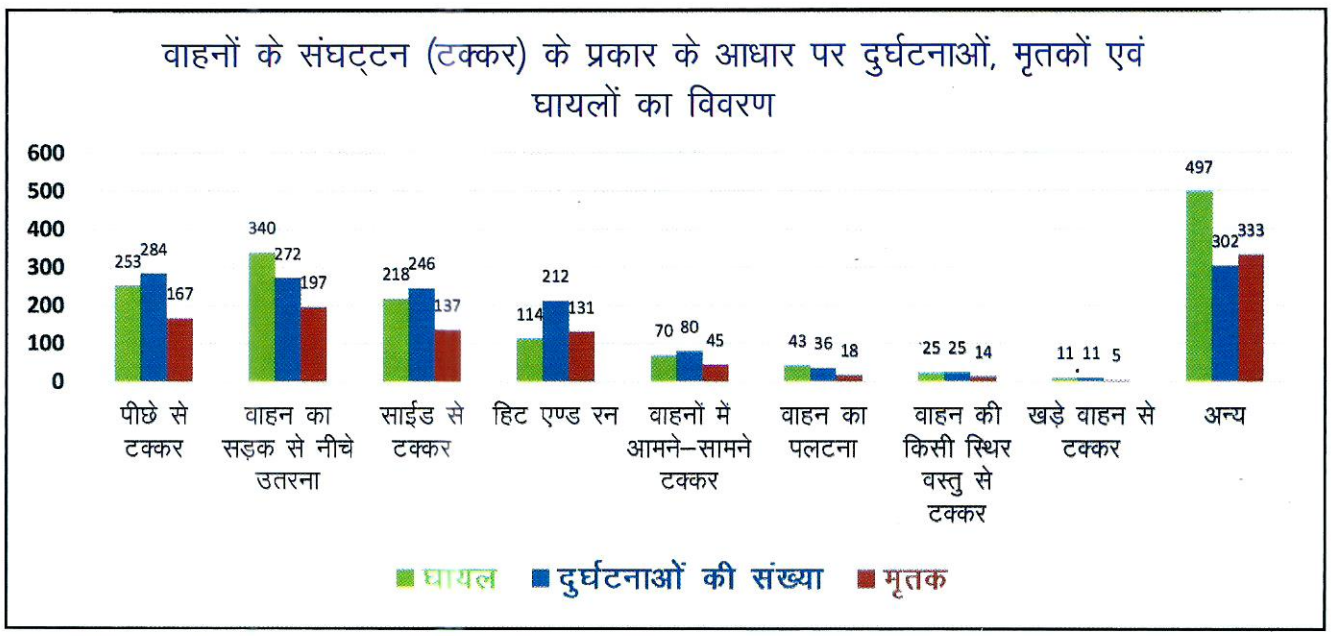

7. मार्ग के प्रकार के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण–

मार्ग का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
राष्ट्रीय राजमार्ग	816	631	759
राज्य राजमार्ग	342	266	427
अन्य मार्ग	310	150	385
योग	**1468**	**1047**	**1571**

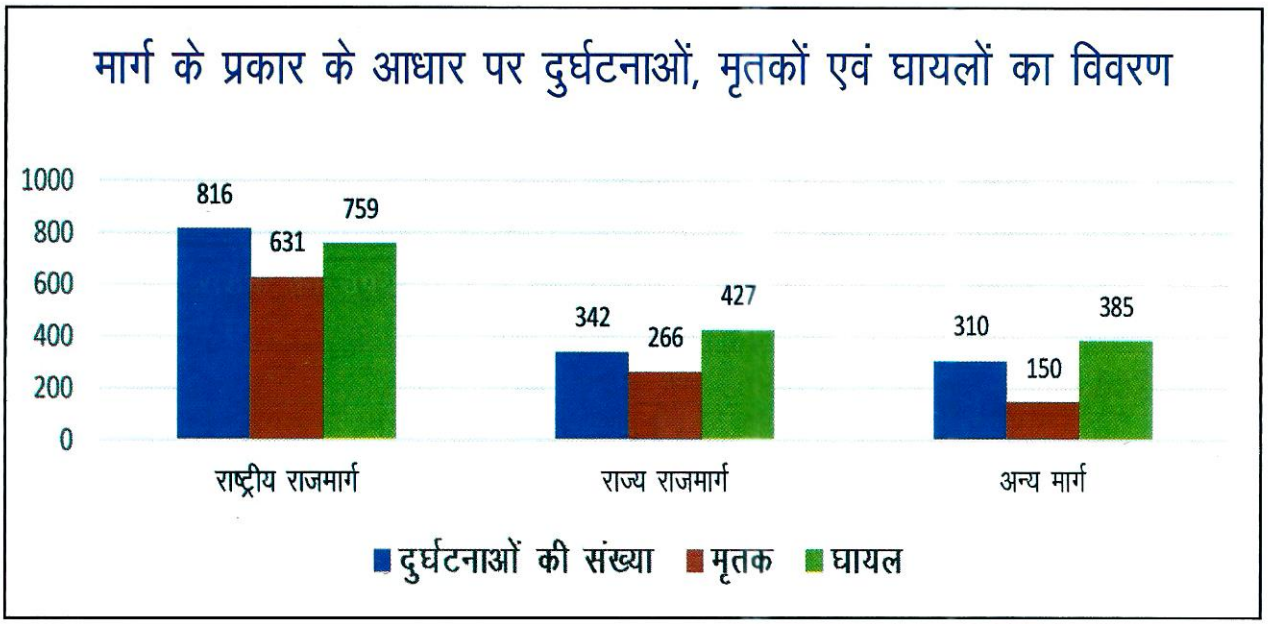

8. सड़क परिदृश्य के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण–

दुर्घटना क्षेत्र	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
आवासीय क्षेत्र	289	140	308
संस्थागत क्षेत्र	87	46	82
बाजार/व्यवसायिक क्षेत्र	286	167	233
खुला क्षेत्र	572	508	624
अन्य	234	186	324
योग	**1468**	**1047**	**1571**

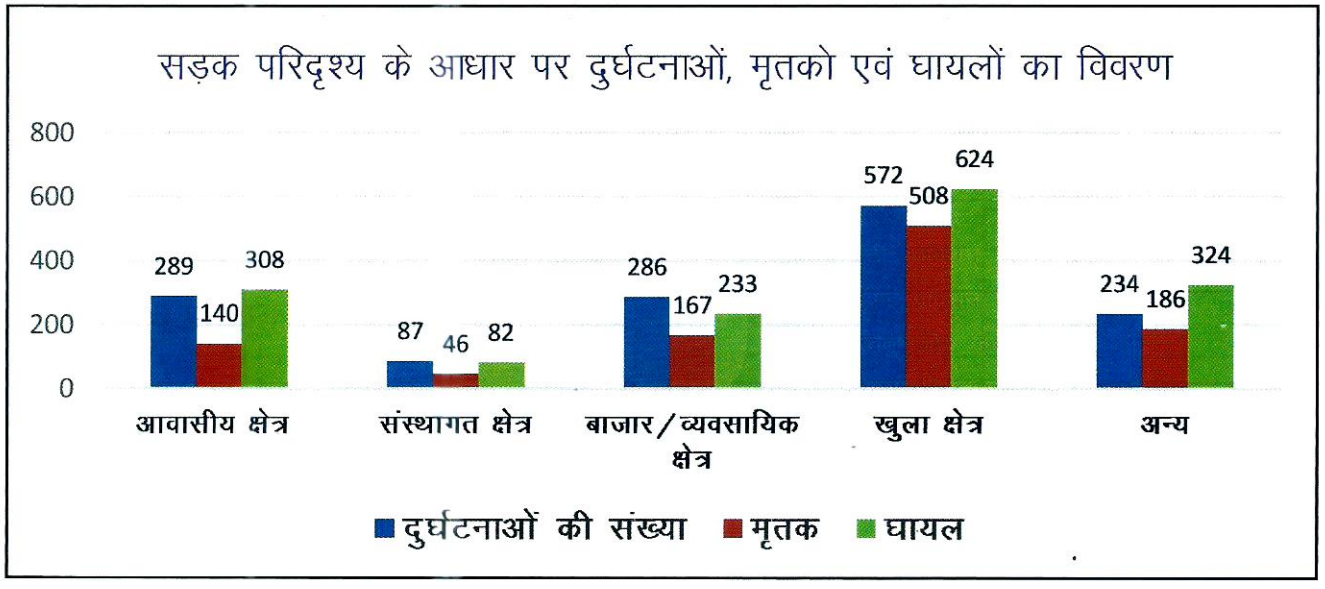

9. सड़क की विशिष्टताओं के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण–

सड़क की विशिष्टता	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
सीधी सड़क	886	536	819
घुमावदार सड़क	343	370	525
पुल	42	22	40
कलबर्ट	04	03	01
तीव्र ढाल वाली सड़क	06	05	03
निर्माणाधीन सड़क	05	13	02
अन्य	182	98	181
योग	**1468**	**1047**	**1571**

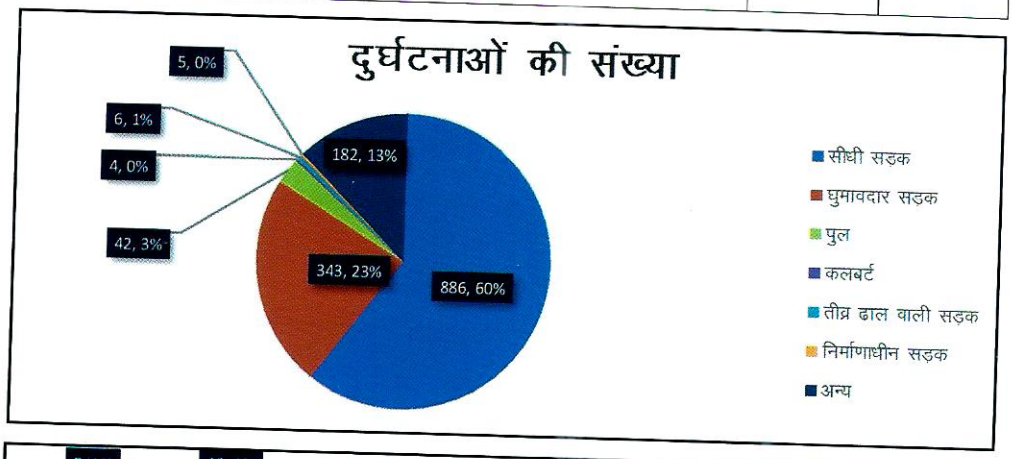

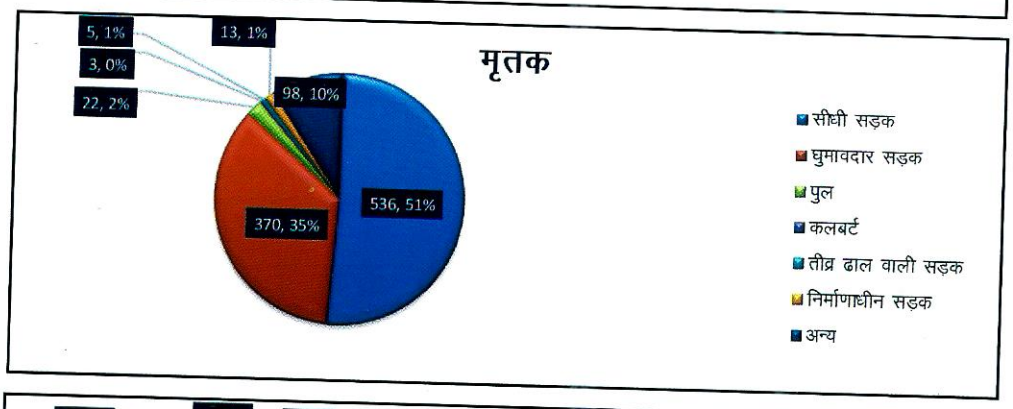

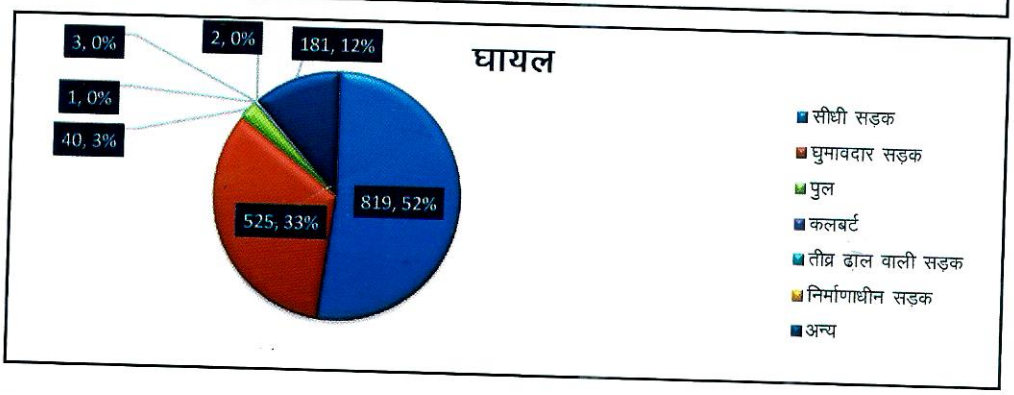

10. जंक्शन के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण–

जंक्शन का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
टी (T) जंक्शन	18	06	24
वाय (Y) जंक्शन	10	02	13
चतुर्भुजीय जंक्शन	39	17	35
अव्यवस्थित जंक्शन	80	26	73
घुमावदार जंक्शन	22	09	19
योग–	169	60	164

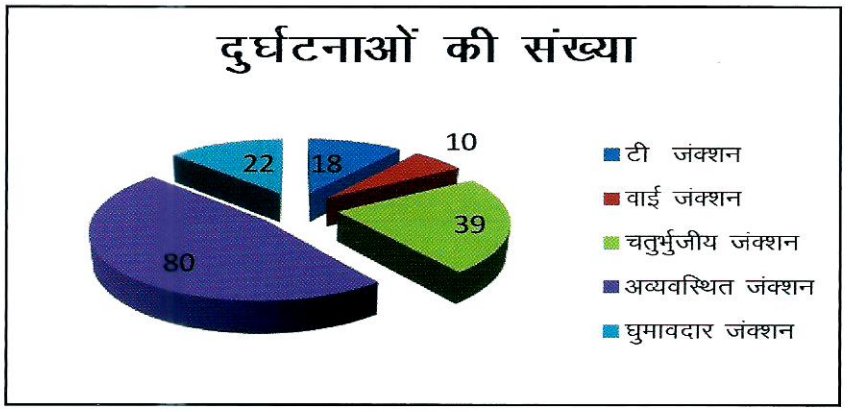

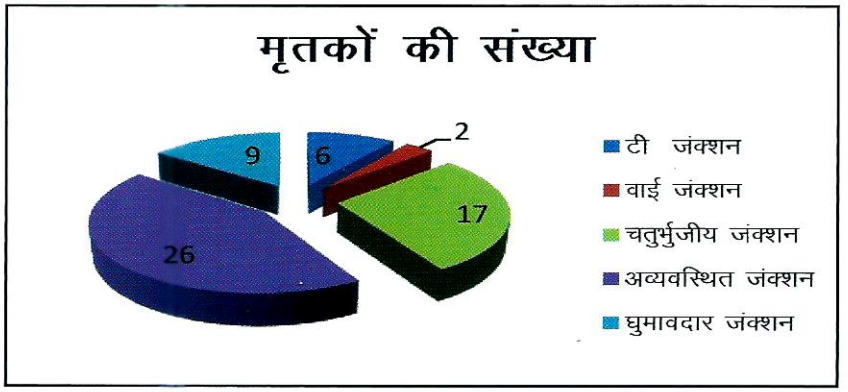

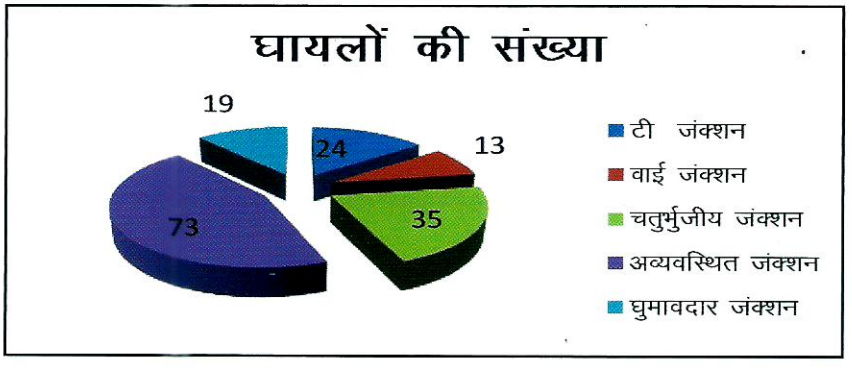

11. जंक्शन पर ट्रैफिक नियंत्रण के आधार पर घटित दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण–

ट्रैफिक नियंत्रण का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
ट्रैफिक लाईट द्वारा नियंत्रित	34	11	38
पुलिस द्वारा नियंत्रित	26	11	26
स्टॉप संकेत द्वारा नियंत्रित	13	04	16
अनियंत्रित	96	34	84
योग–	169	60	164

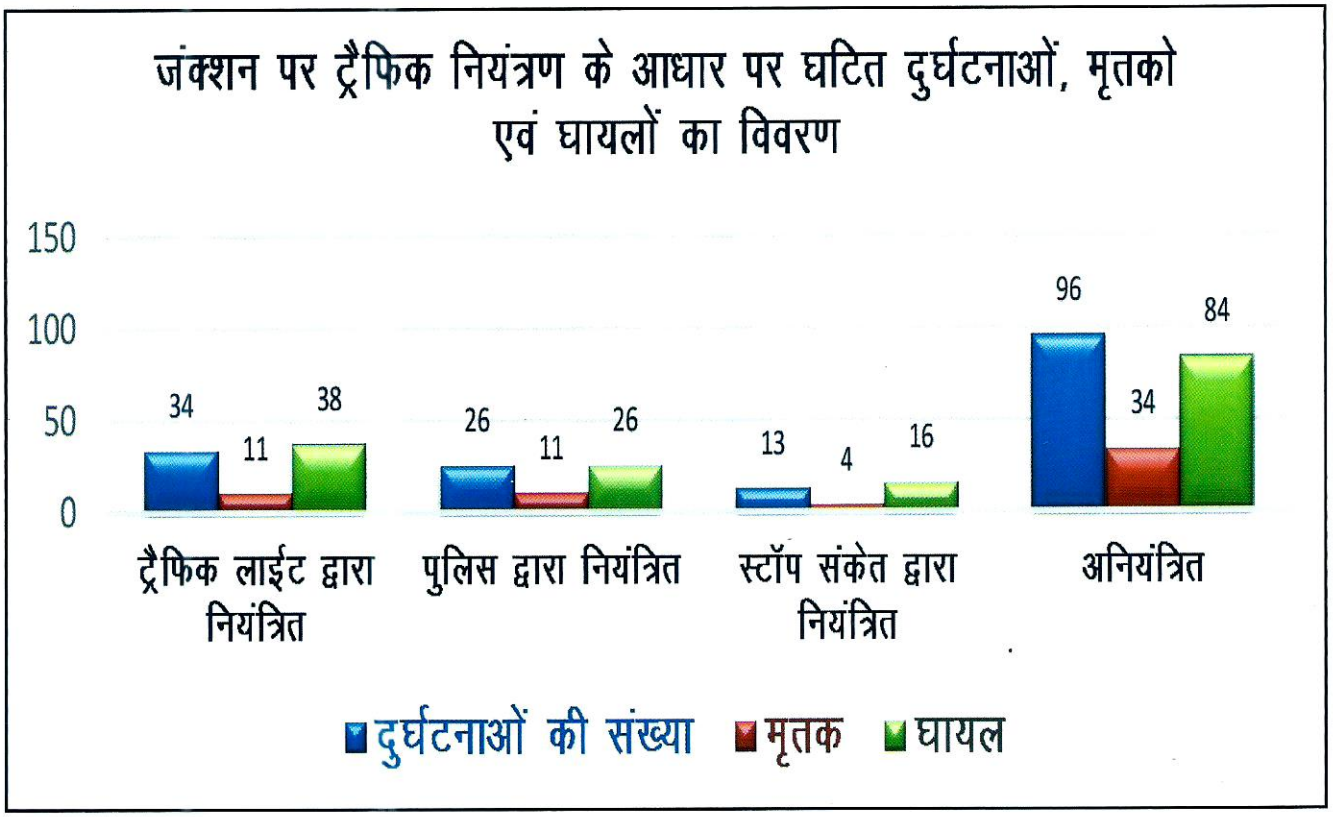

12. जलवायु की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण–

जलवायु अवस्था	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
धूप / साफ जलवायु	840	702	982
वर्षाकाल	210	121	161
कोहरा / धुंध	80	52	57
अन्य	338	172	371
योग–	1468	1047	1571

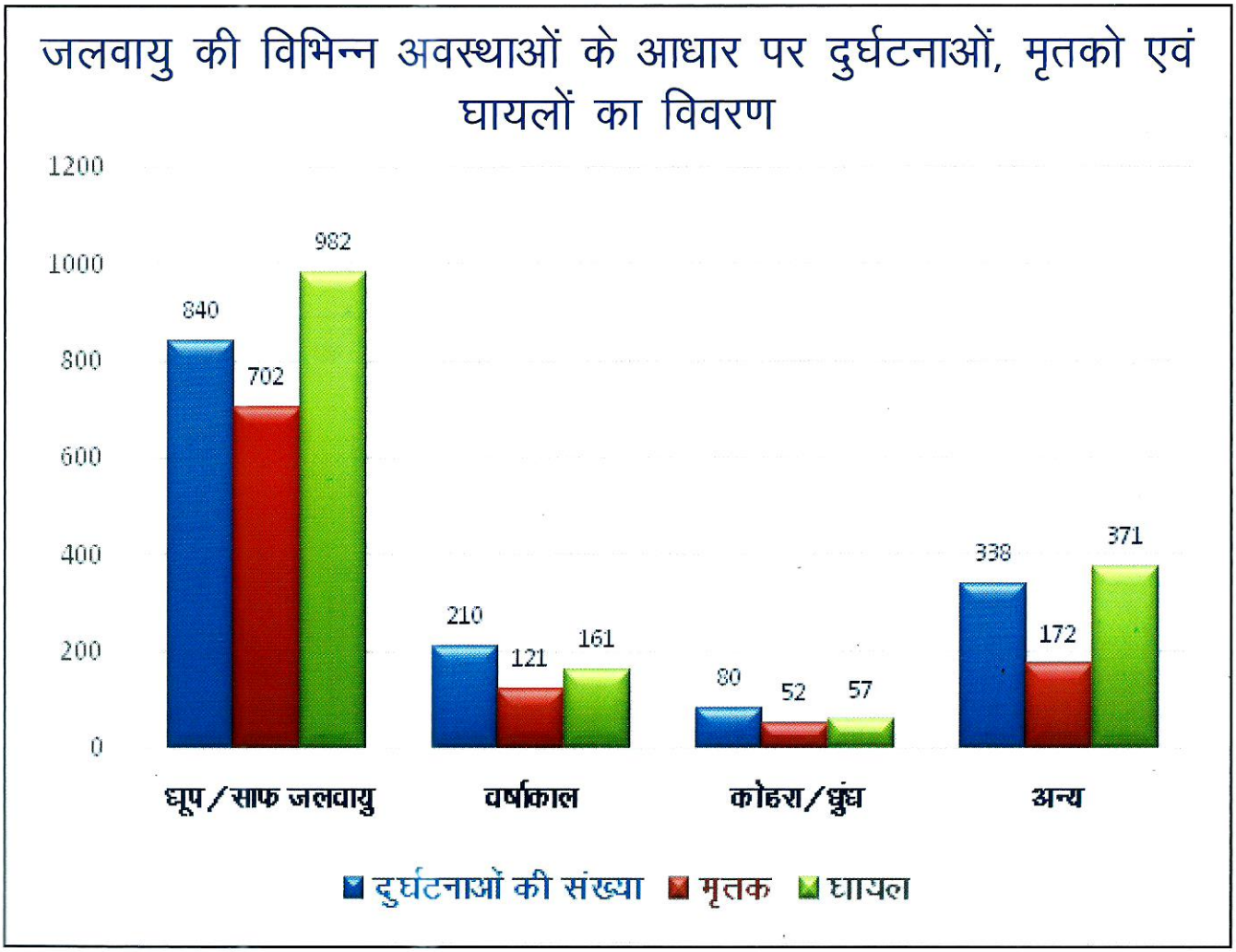

13. सड़क की उपयोगिता के आधार पर मृतकों एवं घायलों का विवरण–

व्यक्ति	मृतक	घायल
1–पैदल	146	171
2–साईकिल सवार	30	02
3–दोपहिया सवार	222	360
4–आटो रिक्शा	17	52
5–कार / टैक्सी / वैन	297	494
6–ट्रक / लारी	117	135
7–बस	137	251
8–अन्य मोटरयान	72	76
9–अन्य व्यक्ति	9	30
योग–	**1047**	**1571**

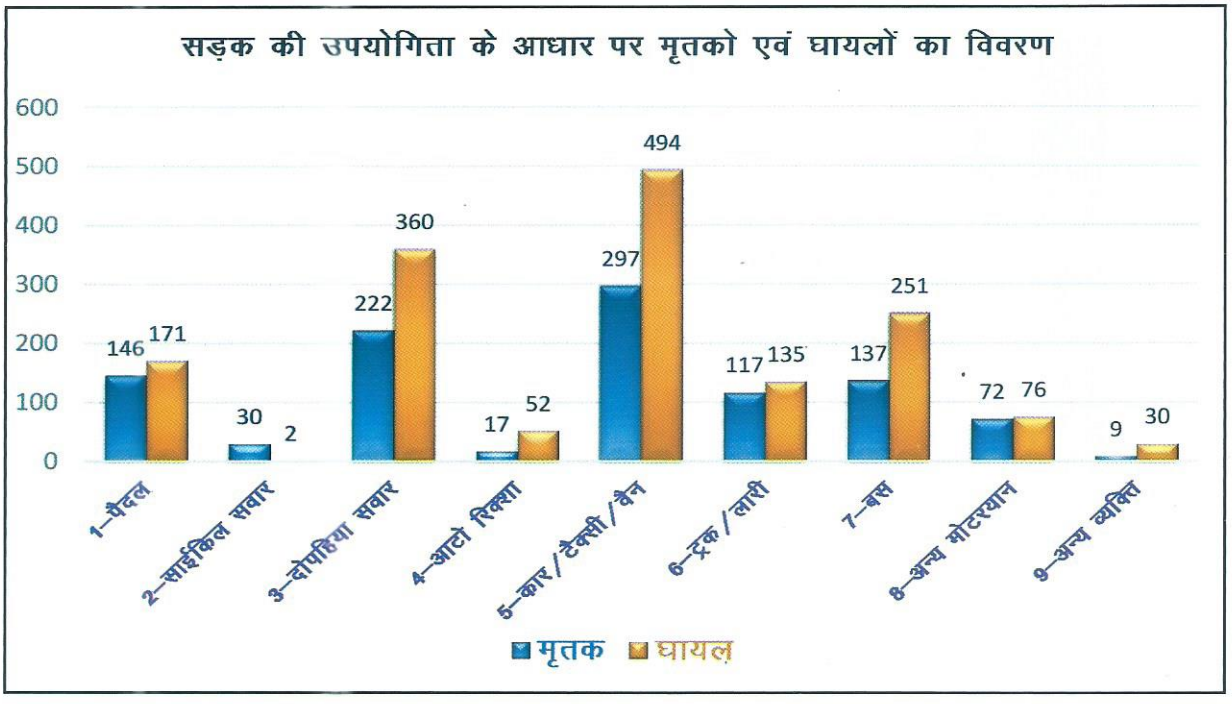

14. यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रकार के आधार पर हुई सड़क दुर्घटनाओं का विवरण

यातायात नियमों का उल्लंघन	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
ओवरस्पीडिंग	900	569	878
गलत दिशा में वाहन संचालन	173	105	167
शराब पीकर वाहन चलाना	20	16	42
वाहन संचालन करते समय मोबाईल फोन का प्रयोग करना	0	0	0
रेड़ लाईट जम्पिंग करना	02	01	01
योग–	1095	691	1088

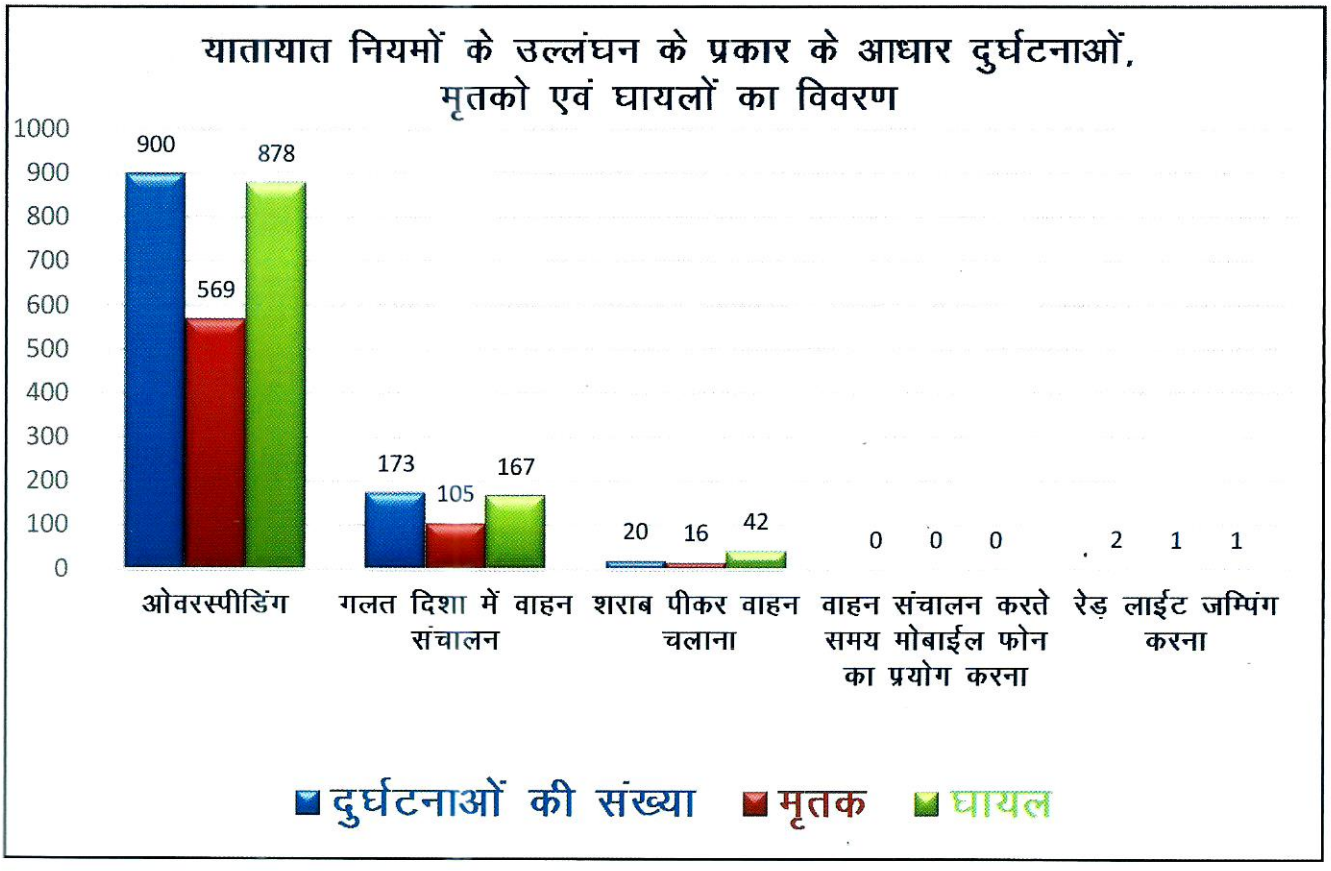

15. वर्ष 2018 में हुयी सड़क दुर्घटनाओं का विवरण चालक के लाईसेन्स के आधार पर :–

लाईसेन्स का प्रकार	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
वैध स्थायी लाईसेन्स	392	283
शिक्षार्थी लाईसेन्स	2	01
बिना लाईसेन्स	14	16
अज्ञात	389	341
योग–	797	641

16. वर्ष 2018 में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रवार विवरणः–

क्षेत्र का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
शहरी क्षेत्र	726	389	652
ग्रामीण क्षेत्र	742	658	919
योग–	1468	1047	1571

जनपदवार वाहनों की संख्या एवं जनसंख्या

1. राज्य में जनपदवार वाहनों की संख्या एवं जनसंख्या

क्रम संख्या	जनपद का नाम	क्षेत्रफल वर्गकिमी0	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	जनसंख्या घनत्व	वाहनों की संख्या	वाहन घनत्व
1	अल्मोड़ा	3,144	6,22,506	198	40,728	13
2	बागेश्वर	2,241	2,59,898	116	15,989	07
3	चमोली	8,030	3,91,605	49	19,193	02
4	चम्पावत	1,766	2,59,648	147	32,064	18
5	देहरादून	3,088	16,96,694	549	11,32,772	367
6	हरिद्वार	2,360	18,90,422	801	4,88,120	207
7	नैनीताल	4,251	9,54,605	225	3,42,531	81
8	पौड़ी	5,329	6,87,271	129	77,184	14
9	पिथौरागढ़	7,090	4,83,439	68	44,575	06
10	रूद्रप्रयाग	1,984	2,42,285	122	14,051	07
11	टिहरी	3,642	6,18,931	170	26,290	07
12	उधमसिंह नगर	2,542	16,48,902	649	5,62,357	221
13	उत्तरकाशी	8,016	3,30,086	41	15,260	02
14	**योग**	**53,483**	**1,00,86,292**	**189**	**28,11,114**	**53**

www.censusindia2011.com/uttarakhand-population.html

राज्य में सड़कों की स्थिति, ब्लैक स्पॉट आदि

1. उत्तराखण्ड राज्य में जनपदवार सड़को की लम्बाई (किमी) :–

जनपद का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग (किमी में)	राज्य राजमार्ग (किमी में)	प्रमुख जिला मार्ग	अन्य जिला मार्ग	ग्रामीण मार्ग	योग
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरकाशी	137.43	232.62	232.60	56.40	1259.82	1918.87
टिहरी	208.85	453.71	368.77	315.30	2812.93	4159.56
देहरादून	365.89	232.26	342.96	283.45	2351.72	3576.28
हरिद्वार	46.50	180.01	79.58	101.60	1288.19	1695.88
चमोली	49.00	170.70	213.54	246.15	1318.17	1997.56
रूद्रप्रयाग	191.20	218.60	82.75	85.31	828.73	1406.59
पौड़ी	385.57	859.57	252.25	586.57	3592.85	5676.82
पिथौरागढ़	116.00	238.57	143.96	60.58	1600.08	2159.19
चम्पावत	126.00	273.92	0	15.01	961.18	1376.11
बागेश्वर	78.80	218.64	46.60	121.82	742.64	1208.50
अल्मोड़ा	233.70	652.21	192.45	620.51	1452.38	3151.25
नैनीताल	142.40	460.15	93.23	178.11	2262.70	3136.59
उधमसिंह नगर	10.00	196.27	106.15	80.02	1815.33	2207.77
हल्का वाहन मार्ग	0	0	0	0	0	616.32
योग	**2091.34**	**4387.23**	**2154.84**	**2750.83**	**22286.72**	**34287.29**

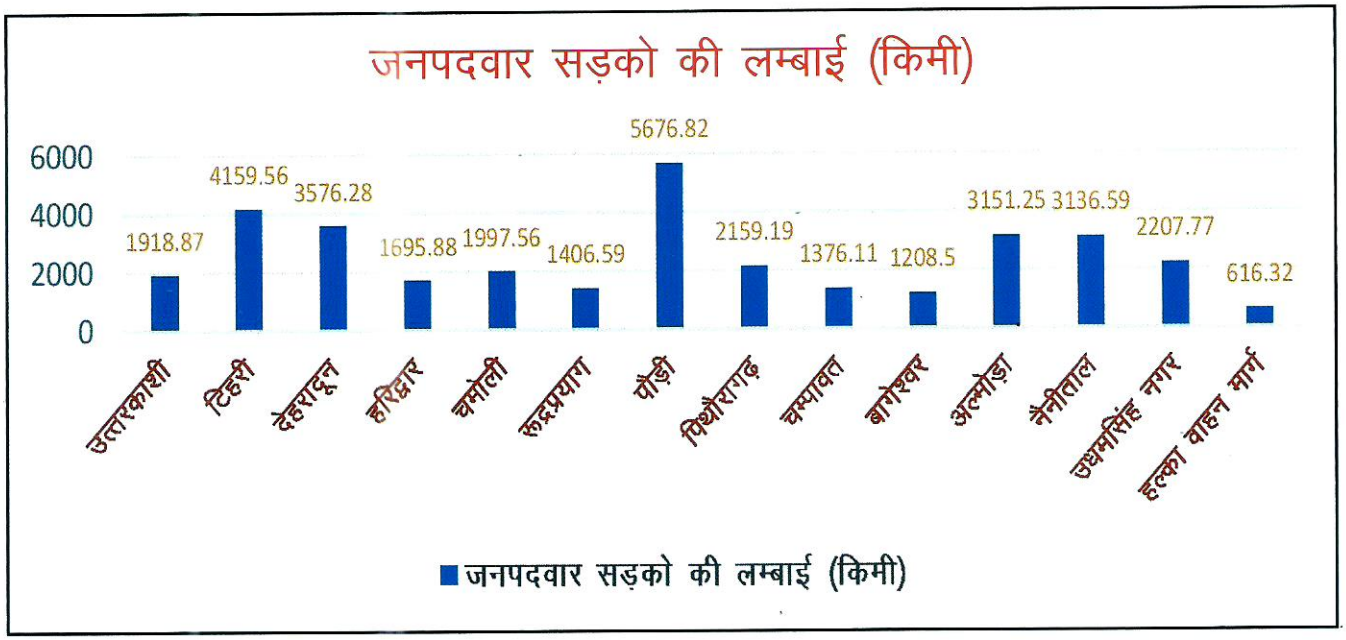

2. ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण एवं सुधारीकरण-

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार सड़क का 500 मीटर का वह भाग जहॉ विगत 03 वर्षों में 05 घातक सड़क दुर्घटनाएं हुई हों अथवा 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई हो, ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में आता है।

उक्त परिभाषा के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य में (वर्ष 2013, 2014 एवं 2015), (वर्ष 2014, 2015 एवं 2016) तथा (वर्ष 2015, 2016 एवं 2017) में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आधार पर राज्य में कुल 130 ब्लैक स्पॉट का चिन्हीकरण किया गया है और उनमें सुधार हेतु सम्बन्धित सड़क निर्माण एजेंसी को निर्देशित किया गया है। ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त जनपदों में अन्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करते हुए उनके सुधारीकरण हेतु भी सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये गये हैं।

जनपदवार चिन्हित ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की स्थिति निम्नवत् हैः-

जनपद	ब्लैक स्पॉटस की संख्या	दुर्घटना सम्भावित स्थलों की संख्या
उधमसिंहनगर	30	72
हरिद्वार	31	14
देहरादून	49	99
नैनीताल	07	—
टिहरी	05	173
पौड़ी	01	183
उत्तरकाशी	02	85
चम्पावत	—	18
चमोली	02	—
अल्मोड़ा	01	510
रुद्रप्रयाग	—	88
बागेश्वर	—	103
पिथौरागढ़	02	—
योग	**130**	**1345**

3. राज्य में सड़को को सुरक्षित बनाये जाने के उद्देश्य से रोड सेफ्टी आडिट कराये जाने की कार्यवाही भी प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2017 एवं वर्ष 2018 में किये गये सड़क सुरक्षा आडिट का विवरण निम्नवत् है:—

राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई (किमी0 में) (ग्रामीण सड़कों को छोडकर)	वर्ष 2017 में किया गया सड़क सुरक्षा आडिट (किमी0 में)	वर्ष 2018 में किया गया सड़क सुरक्षा आडिट (किमी0 में)
12278.10	1495.00	1186.10

दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उठाये गये कदम

1. राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन–

अधिसूचना संख्या–549(1)/ix–1/23(2014)/2017 दिनांक 24–07–2017 के अन्तर्गत मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया। कलैण्डर वर्ष में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की दो बैठकें आहुत की गयी।

2 अनुश्रवण समिति का गठन–

अधिसूचना संख्या–878/ix–1/17/25/2015 दिनांक 21–12–2017 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना के न्यूनीकरण के अनुश्रवण हेतु समिति का गठन किया गया है। कलैण्डर वर्ष में अनुश्रवण समिति की दो बैठकें आहुत की गयी।

3 लीड एजेन्सी का गठन–

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करने हेतु शासनादेश संख्या–455/ix–1/90/2016/2019 दिनांक 26–09–2019 के अन्तर्गत सयुंक्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में लीड एजेन्सी का गठन किया गया है। उक्त लीड एजेंसी में परिवहन, पुलिस एवं लोक निर्माण विभाग के पूर्णकालिक अधिकारी तैनात किये गये हैं।

4 जिला सड़क सुरक्षा समितियों का गठन–

अधिसूचना संख्या–549/ix–1/23(2014)/2017 दिनांक 24–07–2017 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है।

5 उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा नीति का प्रख्यापन–

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधिसूचना संख्या–98/ ix–1/26/2015 दिनांक 09–02–2016 के अन्तर्गत राज्य में सड़क सुरक्षा नीति को अन्तिम रूप प्रदान करते हुए उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति प्रख्यापित कर दी गई है।

6 सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना–

अधिसूचना संख्या–840/ix–1/79(2016)/2017टी0सी0 दिनांक 20–11–2017 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017 प्रख्यापित कर दी गई है। उक्त निधि में परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा वाहनों के चालानों के प्रशमन से वसूले जा रहे प्रशमन शुल्क की धनराशि का 25 प्रतिशत जमा किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

7 दुपहिया वाहन में पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के लिये हैल्मेट अनिवार्य किया जाना–

अधिसूचना संख्या–320/ix–1/95(2015)/2016 दिनांक 20–05–2016 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम में संशोधन करते हुए पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिये भी हैल्मेट पहनना अनिवार्य किया गया है।

8 वाहनों में स्पीड गवर्नर अनिवार्य किया जाना–

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अन्तर्गत ओवरस्पीडिंग पर नियन्त्रण रखने हेतु सभी प्रकार की व्यवसायिक वाहनों (दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया साईकिल, अग्निशामक, एम्बुलेन्स एवं पुलिस यान को छोड़कर) पर गति नियन्त्रक (Speed Limiting Device) लगाना अनिवार्य किया गया है। वाहनों के फिटनेस परीक्षण के समय वाहन पर गति नियन्त्रक उपकरण लगाया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

9 चालक प्रशिक्षण संस्थान, झाझरा

वाहन चालकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लगभग 4 हैक्टेअर भूमि पर देहरादून में झाझरा नामक स्थान पर एक वृहद चालक प्रशिक्षण संस्थान (आईडीटीआर) की स्थापना की गयी है। वर्तमान में संस्थान का संचालन मैसर्स मारूति सुजुकी इण्डिया लि0 द्वारा किया जा रहा है। पर्वतीय मार्गों पर वाहन चालकों को दक्षतापूर्वक वाहन संचालन के उद्देश्य से आई0डी0टी0आर0, देहरादून में रुपये 317.29 लाख की लागत से हिल ट्रैक का निर्माण किया गया है।

10 व्यवसायिक वाहनों के चालकों हेतु रिफ्रेशर कोर्स अनिवार्य

उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली 2011 के अन्तर्गत व्यवसायिक वाहन चालकों के लाईसेन्स नवीनीकरण से पूर्व 02/01 दिवस का रिफ्रेशर प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। माह दिसम्बर–2018 तक आईडीटीआर द्वारा लगभग 78063 चालकों को उक्त प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

11 प्रवर्तन दलों का सुदृढीकरण

दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु अधिक सुदृढ करने के उद्देश्य से सर्वाधिक दुर्घटना वाले जनपदों हेतु 04 इन्टरसेप्टर वाहन (देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल) एवं प्रवर्तन दलों हेतु 08 बोलेरो वाहन तथा नशे में वाहन संचालित करने वाले चालकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु 40 एल्कोमीटर क्रय कर आवंटित कर दिये गये हैं।

12. प्रवर्तन की कार्यवाही (पुलिस एवं परिवहन विभाग)

वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटना से सम्बन्धित अभियोगों में की गयी प्रवर्तनं की कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:–

	कुल चालान	लाईसेन्स के विरूद्व की गई संस्तुति
रेड लाईट जम्पिंग करना	5696	3759
निर्धारित गतिसीमा से अधिक गति से वाहन चलाना	39550	13671
भार वाहनों में क्षमता से अधिक भार ले जाना	18567	5615
भार वाहनों में यात्री ले जाना	6007	2480
वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग	24334	15312
नशे की हालत में वाहन चलाना	11479	4232
कुलयोग–	**108206**	**45065**

ब) इसी प्रकार बिना हैल्मेट/सीट बैल्ट के अभियोग में निम्नवर्त प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी:–

अभियोग	चालान	काउंसलिग
चालक/सवारी द्वारा हैल्मेट न पहनना	575700	573154
सीट बेल्ट का प्रयोग न करना	49333	47282
कुलयोग–	**625033**	**620436**

13 चालक लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु आने वाले चालकों की परीक्षा हेतु सिमुलेटर्स की व्यवस्था

चालकों में दक्षता विकास के दृष्टिगत परिवहन कार्यालय में आने वाले आवेदकों को लाईसेन्स जारी करने से पूर्व आवेदकों की परीक्षा कम्प्यूटरीकृत रूप से लिए जाने हेतु 12 सिमुलेटर क्रय करते हुए, उन्हें संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालयों में स्थापित किया गया है।

14 निजी क्षेत्र में संचालित चालक प्रशिक्षण स्कूलों के लिये मानकों का सुदृढीकरण

निजी क्षेत्र में स्थापित चालक प्रशिक्षण स्कूलों के लिये निर्धारित मानकों को कड़ा करते हुए प्रत्येक ट्रेनिंग स्कूल में सिमुलेटर स्थापित किया जाना अनिवार्य किया गया है।

15 जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

सामान्य जनमानस को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से समय–समय पर विभिन्न स्कूलों में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित कराये गये। इसके अतिरिक्त विभिन्न मोटर यूनियनों के अन्तर्गत चालकों हेतु स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, रैली, कार्यशाला आदि का आयोजन किया गया।

16 विभागीय अधिकारियों को सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण

विभागीय अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक एवं संवेदनशील बनाये जाने के उद्देश्य से सियाम के माध्यम से तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें परिवहन कर अधिकारी–2 से उच्च स्तर के लगभग 120 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

17 ''उत्तराखण्ड सडक परिवहन दुर्घटना राहत निधि'' का गठन

(1) ''उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2003'' की धारा–8 के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायानों से सम्बन्धित यात्रियों की दुर्घटना की स्थिति में मृतक आश्रित एवं घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु ''उत्तराखण्ड सडक परिवहन दुर्घटना राहत निधि'' का गठन किया गया है।

(2) किसी सार्वजनिक सेवायान की दुर्घटना होने पर प्रभावित व्यक्तियों को मृत्यु की दशा में रूपये 1,00,000, गंभीर रूप से घायल होने पर रूपये 40,000 एवं साधारण घायल होने पर रूपये 10,000 की आर्थिक सहायता उक्त निधि से उपलब्ध करायी जाती है।

(3) उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (प्रथम सं ोधन) नियमावली, 2011 के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायान से होने वाली दुर्घटना में मृतक/घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रदे ा के जिलाधिकारियों को वर्श 2017–18 में रुपये 1,38,61,707.00 की धनरा ि तथा वर्श 2018–19 में रुपये 2,49,17,783.00 (31 दिसम्बर, 2018 तक) की धनरा ि आवंटित की गयी है।

(4) उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008 के नियम–12 के अधीन प्रदत्त भाक्ति का प्रयोग करते हुये निधि की कार्यकारिणी द्वारा अपने कारोबार का संचालन करने हेतु उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि उपविधि, 2017 प्रख्यापित की गयी।

18. राज्य में वर्ष 2018 तक स्थापित किये गये ट्रॉमा सेन्टर का जनपदवार विवरणः–

जनपद	ट्रॉमा सेन्टरों की संख्या	ट्रॉमा सेन्टर का नाम	संचालन की स्थिति
देहरादून	03	1–दून चिकित्सालय, देहरादून 2–एस0पी0एस0 चिकित्सालय ऋषिकेश 3–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विकासनगर	सम्बन्धित चिकित्सा इकाई के साथ संचालित।
चमोली	02	1–जिला चिकत्सालय गोपेश्वर 2–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कर्णप्रयाग	तदैव
उत्तरकाशी	01	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी	तदैव
हरिद्वार	01	संयुक्त चिकित्सालय रूड़की	तदैव
उधमसिंह नगर	01	एल0डी0 भट्टसंयुक्त चिकित्सालय, काशीपुर	तदैव
अल्मोड़ा	02	1–गोविन्द सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय, अल्मोड़ा। 2–पं0 गोवर्धन तिवारी बेस चिकित्सालय, अल्मोड़ा।	तदैव
बागेश्वर	01	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	तदैव
चम्पावत	01	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोहाघाट	तदैव
पौड़ी	01	बेस चिकित्सालय कोटद्वार	तदैव
टिहरी	01	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काण्डीसौड	तदैव
पिथौरागढ़	–	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में ट्रामा सेन्टर के निर्माण/स्थापना की कार्यवाही गतिमान है।	तदैव
नैनीताल	01	सुशीला तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी	तदैव
रूद्रप्रयाग	–	कार्यवाही गतिमान	–
योग	**15**	–	–

19. उत्तराखण्ड राज्य में संचालित एम्बुलेन्स वाहनों का विवरण–

क्र0 सं0	विभागीय एम्बुलेन्सों की संख्या	108 के अन्तर्गत संचालित एम्बुलेन्सों की संख्या	108 के अन्तर्गत संचालित बोट एम्बुलेन्स
1	**2**	**3**	**4**
1	135	140	01

भविष्य की योजनाएं

1. हल्द्वानी में वृहद चालक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण–

विगत् वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं में चालकों की अदक्षता, लापरवाही एवं तीव्र गति से वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या 60 प्रतिशत से अधिक है। अतः वाहन चालकों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु देहरादून की भॉति कुमाऊॅ मण्डल के हल्द्वानी नगर में भी एक वृहद चालक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये लगभग 8 हैक्टेअर भूमि विभाग को प्राप्त हो गयी है। उक्त संस्थान के निर्माण हेतु रुपये 23.67 करोड़ का प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेशित किया गया है।

2. चालकों की परीक्षा हेतु ऑटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक्स की स्थापना–

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा 11 स्थानों (देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऊधमसिंहनगर, काशीपुर, रूड़की, विकासनगर, कोटद्वार, अल्मोड़ा एवं टिहरी) पर ऑटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक्स के निर्माण के निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु हरिद्वार, हल्द्वानी, टिहरी में भूमि उपलब्ध हो गयी है, जबकि ऋषिकेश में भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही अन्तिम चरण में है। इसके अतिरिक्त देहरादून में आई0डी0टी0आर0 में ही ड्राइविंग ट्रैक्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

3. वाहनों की फिटनेस हेतु आटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना–

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा 06 स्थानों (देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश, अल्मोड़ा एवं कोटद्वार) में ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में इस हेतु हल्द्वानी एवं हरिद्वार में भूमि उपलब्ध हो गयी है। अतः उक्त स्थानों पर ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन के निर्माण हेतु रुपये 10.28 X 2 कुल रुपये 20.56 करोड़ का प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

4. प्रवर्तन दलों का सुदृढीकरण

5. पुलिस विभाग में सड़क सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था

6. ब्लैक स्पॉट का सुधारीकरण

7. सड़क सुरक्षा विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना

8. सभी परिवहन कार्यालयों में वाहन 4.0/सारथी 4.0 लागू किया जाना

9. वाहनों में जीपीएस की स्थापना